# हिन्दी अधिकारी की भर्ती के लिए परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम SCHEME OF EXAMINATION AND SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF HINDI OFFICER

हिन्दी अधिकारी की भर्ती के लिए परीक्षा में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे / The examination for recruitment of Hindi Officer shall consist of following stages:

- लिखित परीक्षा / Written examination
  भाग ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा / Part A Objective Type Examination
  भाग बी वर्णानात्मक परीक्षा / Part B Descriptive Type Examination
- 2. साक्षात्कार / Interview

वस्तुनिष्ठ परीक्षा (भाग—ए) पहले आयोजित की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। The Objective Type Examination (Part – A) shall be conducted first which will be of qualifying nature.

भाग ए (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अर्हता अंक सभी अभ्यर्थियों के लिए 40% होंगे क्योंकि पद अनारक्षित (यू.आर.) है। भाग-बी (वर्णानात्मक परीक्षा) के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा, जो भाग-ए (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करेंगे।

The minimum qualifying marks to be secured in Part A (Objective Type Examination) shall be 40% for all candidates as the post is unreserved (UR). The answer scripts of the candidates for the Part – B shall be evaluated only in respect of those candidates who secure the minimum qualifying marks in Part – A.

भाग बी (वर्णनात्मक परीक्षा) में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अर्हता अंक 40% होंगे। The minimum qualifying marks to be secured in Part B (Descriptive Type

Examination) shall be 40%.

भाग बी (वर्णनात्मक परीक्षा) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर केवल शीर्ष 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

Only top 15 candidates based on the marks secured by the candidates in the Part B (Descriptive Type Examination) shall be called for Interview.

उम्मीदवारों की मेधा (मेरिट) सूची भाग—बी (वर्णनात्मक परीक्षा) और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

The merit list of the candidates shall be drawn based on the performance in Part - B (Descriptive Type Examination) and Interview.

दिव्यांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के नियमानुसार लिखित परीक्षा के लिए स्त्राइबर और अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी।

PwBD candidates will be allowed Scriber and extra time for written test as per Govt. of India Rules.

## भाग-ए (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) के लिए पाठ्यक्रम Syllabus for Part - A (Objective Type Examination)

भाग /	विषय /Subject	विषय /Subject अधिकतम अंक /	
Part		Maximum Marks	Duration
भाग ए	सामान्य हिन्दी / General Hindi	25	1 hour 30
Part	सामान्य अंग्रेजी / General English	25	Minutes 01 घंटा 30
A	भारत संघ की राजभाषा नीति /Rajbhasha	25	ण वटा ३० मिनट
	Policy of Union of India		ופוטוכ
	कुल / Total	75	

भाग — बी (वर्णनात्मक प्रकार परीक्षा) 75 अंकों की होगी जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। The Part – B (Descriptive Type examination) will consist of 75 Marks in which Descriptive questions will be asked.

# भाग — बी (वर्णनात्मक परीक्षा) के लिए पाठ्यक्रम Syllabus for Part - B (Descriptive Type Examination)

भाग /	विषय /Subject	प्रश्नों की संख्या x अंक	अधिकतम अंक /	अवधि /
Part		/ No. of Que. x		Duration
		Marks	Marks	
भाग बी	<b>अनुवादः</b> हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद	2 x 10	20	02 hours
Part	और इसके विपरीत Translation:			02 ਬਂਟੇ
В	Hindi to English and vice-			
	versa/			
	समतुल्य शब्दः अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी	20 x 1	20	
	पर्याय और इसके विपरीत /			
	Equivalent Words: Hindi to			
	English Terms and vice-versa			
	<b>संक्षिप्त टिप्पणियाः</b> हिन्दी एवं अंग्रेजी /	4 x 5	20	
	Short Notes: Hindi and			
	English			
	<b>निबंध लेखनः</b> हिन्दी /	1 x 15	15	
	Essay writing: Hindi			
कुल / Total			75	

## विस्तृत पाठ्यक्रम / DETAILED SYLLABUS

#### <u>भाग-एः (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) / Part A: (Objective Type Examination)</u>

# सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी /General Hindi and General English:

इस भाग में प्रश्न अभ्यर्थियों की हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे और त्रुटि पहचान, रिक्त स्थान भरने (क्रिया, पूर्वसर्ग, लेख आदि का उपयोग करके), शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य पर आधारित होंगे। संरचना, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, वाक्य पूर्णता, शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों का सही उपयोग, भाषा को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता।

Questions in this component will be designed to test the Candidates' understanding and knowledge of Hindi & English Languages and will be based on error recognition, fill in the blanks (using verbs, preposition, articles etc.), vocabulary, spellings, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, correct use of words, phrases and idioms, ability to write language correctly, precisely and effectively.

## भारत संघ की राजभाषा नीति /Rajbhasha Policy of Union of India:

इस भाग में प्रश्न उम्मीदवार की राजभाषा अधिनियम/ नियम/ संकल्प आदि की समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे।

Questions in this component will be designed to test the Candidate's understanding and knowledge of Rajbhasha Adhiniyam/Niyam/Sankalp etc.

## भाग-बीः (वर्णनात्मक परीक्षा) / Part B: (Descriptive Type Examination)

#### अनुवाद / Translation

इस भाग में अनुवाद के लिए दो अनुच्छेद होंगे - एक अनुच्छेद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए और एक अनुच्छेद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए जो अभ्यर्थियों के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं की सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की उनकी क्षमता का परीक्षण करेगा।

This section will contain two passages for translation- one passage for translation from Hindi to English and one passage for translation from English to Hindi which will test the candidates' translation skills and their ability to write the two languages correctly, precisely and effectively.

#### समतुल्य शब्द / Equivalent words

इस भाग में अंग्रेजी/हिन्दी में उनके समकक्ष शब्द लिखने के लिए हिंदी/ अंग्रेजी में कुछ शब्द होंगे। / This section will contain some words in Hindi to write their equivalent word in English and vice-versa.

#### संक्षिप्त टिप्पणियाँ / Short Notes

अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के दिए गए अलग-अलग विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने को दिया जाएगा।/ Candidates will have to write short notes in Hindi and English in separate topics.

#### निबंध लेखन / Essay Writing

अभ्यर्थियों को दिए गए विषय में हिंदी में निबंध लिखने को दिया जाएगा।/ Candidates will have to write Essay in Hindi in the given topic.

## सामान्य नियम और शर्ते / GENERAL TERMS AND CONDITIONS:

- 1. लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची और लिखित परीक्षा की तिथि, समय, स्थान और हॉल टिकट/प्रवेश पत्र से संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखें। The list of candidates to be called for Written Examination and details regarding Date, Time, Venue of Written Examination and Hall Ticket/Admit Card shall be notified on the University Website (www.cuj.ac.in). Therefore, the candidates are advised to check the University Website regularly.
- 2. नकारात्मक अंकः वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्त का एक-चौथाई (अर्थात् 0.25 अंक) काट लिया जाएगा। NEGATIVE MARKING: There will be negative marks for wrong answers in the objective tests. One-Fourth of the Correct Answer (i.e., 0.25 marks) will be deducted for each wrong answer.
- 3. अनुचित साधनों का प्रयोगः अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक/ विद्युत उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत उपकरण नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का साथ रखना, चाहे उपयोग में हो या नहीं, परीक्षा में "अनुचित साधनों का उपयोग" माना जाएगा और अभ्यर्थियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

**USE OF UNFAIR MEANS:** Candidates are not permitted to use Mobile Phone, Calculators or any other electronic / electrical device. Candidates, therefore, **MUST NOT** bring Mobile Phone, Calculators or any other electronic / electrical device inside the Examination premises. Possession of these items, whether in use or not, will be considered as **"use of unfair means"** in the Examination and appropriate action will be taken by the University against such candidates.

## 4. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई Action against Candidates found Guilty of Misconduct

यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित के लिए दोषी घोषित किया गया हो तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगाः

A candidate will be disqualified, if she/he has been declared by the University to be guilty of:

- i किसी भी माध्यम से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करनाः अथवा Obtaining support of his/her candidature by any means; or
- ii प्रतिरूपण करनाः अथवा Impersonating; or
- iii किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करनाः

Procuring impersonation by any person;

- iv मनगढ़ंत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जमा करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है: अथवा Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- v ऐसे बयान दर्ज करना जो गलत या असत्य हो अथवा महत्वपूर्ण जानकारी दो दबानाः अथवा Making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
- vi चयन हेतु अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहाला लेनाः अथवा Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection; or
- vii परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करनाः अथवा Using unfair means during the test; or
- viii आलेख में अशलील भाषा या अशलील सामग्री सहित अप्रासंगित सामग्री लिखनाः अथवा Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or
- ix परीक्षा हॉल में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करनाः अथवा Misbehaving in any other manner in the examination hall; or
- त्र विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुँचानाः अथवा Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the University for the conduct of their test; or
- xi परीक्षा हॉल / साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन / संचार उपकरण लानाः अथवा Bringing mobile Phone/communication device in the Examination Hall/Interview Room; or
- xii पूर्वगामी खंडों में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना या, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय को उकसाना, खुद को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है; और/या विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है:
  - ए. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से,
  - बी. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के तहत प्रवेश लेने से।

Attempting to commit or, as the case may be, abetting the University of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable to be disqualified by the University from selection for which he/she is a candidate; and/or to be debarred either permanently or for a specified period by the:

- a University from any Examination or Selection held by them.
- b University from taking admission under the courses offered by them.

xiii यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। if he/she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

## 5. विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिमः

पात्रता, आवेदनो की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत जानकारी के लिए जुर्माना, चयन का तरीका, परीक्षा का संचालन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्याकारी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों और किसी भी पूछताछ/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### **Universities Decision Final:**

The decision of the University in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination(s), allotment of examination centres and preparation of merit list will be final and binding on the candidates and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.

### 6. न्यायालय का क्षेत्राधिकारः

इस भर्ती के संबंध में विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी मुकदमें या कानूनी कार्यवाही के मामलें में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची होगा ।

#### **Court's Jurisdiction:**

In case of any dispute, any suites or legal proceedings against the University in regard to this recruitment, the territorial jurisdiction shall be Hon'ble Jharkhand High Court at Ranchi.

# महत्वपूर्ण नोटः IMPORTANT NOTE:

- 1. इस पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लिखित परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लिखित परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अंनतिम होगा, वशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि वे पात्रता के किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। The candidates applied for this post should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the Written Examination. Their admission at all the stages of Written Examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the Written Examination and Interview, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled by the University.
- 2. यदि इस नोटिस की भाषा के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण अंतिम होगा। If any discrepancy found in respect of language of this notice, the English version shall be final.
- 3. अभ्यर्थियों को कम से कम एक नवीतम फोटो युक्त पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / आधार कार्ड / विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र / आयकर पैन कार्ड की मूल प्रति परीक्षा में ले जानी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा केन्द्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। The candidates must carry at least one latest photo bearing identification proof such as Driving License / Voter Card / Aadhaar Card / Identity Card issued by University / College, Income Tax Pan Card in original to the Examination Centre, failing which they will not be allowed to appear for the same.
- सिफारिशों के माध्यम से अधिकारियों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास शुरू में ही अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर देगा।
   Any attempt to influence the authorities by way of recommendations will ab-initio disqualify the candidate.
- 5. विश्वविद्यालय परीक्षा योजना को संशोधित करने का अधिकार सूरक्षित रखता है। The University reserves the right to modify the scheme of examination.

ह० /-कुलसचिव REGISTRAR

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, Central University of Jharkhand,